P&Q

दैनिक भास्कर

Tue, 30 Sep 2025; daily - Dainik Bhaskar - Delhi;
Size: 385.32 sq. cm.; Circulation: 67800; Page: 4

P&Q

डीएनडी डेवलपर से 100 करोड़ वसूली पर रोक

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली/नोएडा

दिल्ली हाईकोर्ट ने नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (एनटीबीसीएल) को भेजे गए नोएडा अथॉरिटी के उस मांग पत्र पर रोक लगा दी है, जिसमें डीएनडी फ्लाईवे पर विज्ञापन लाइसेंस शुल्क के तौर पर 100 करोड़ रुपए मांगे गए थे। जस्टिस जसमींत सिंह ने 25 सितंबर को पारित आदेश में कहा, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता को विज्ञापन प्रदर्शित करने का अधिकार है और सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है। यदि अंतरिम आदेश न दिया गया तो याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति और नुकसान होगा, जिसकी भरपाई पैसों से नहीं की जा सकती। अदालत ने 10 सितंबर को जारी पत्र के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया और नोएडा अथॉरिटी को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा। अगली सुनवाई 16 जनवरी 2026 को होगी। याचिका में एनटीबीसीएल ने कहा कि उसे नोएडा पक्ष पर डीएनडी फ्लाईवे पर आउटडोर विज्ञापन लगाने का अधिकार दिया गया था, जिसके लिए समय-समय पर दरें बढ़ाई गईं और भुगतान भी नियमित किया गया। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 अक्टूबर 2016 को याचिकाकर्ता को डीएनडी फ्लाईवे पर टोल वसूलने से रोक दिया था। यह आदेश दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा।